राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/8/रातस/2019/4087 दिनांकः– 11/4/19

:: आदेश ::

श्री राधेश्याम शर्मा, नायब तहसीलदार कादेडा जिला अजमेर का स्थानान्तरण पदस्थापन मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1541 दिनांक 26.02.2019 के द्वारा तहसीलदार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के पद के विरूद्ध किया गया था। जिसके विरूद्ध इनके द्वारा मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 405ए/2019 दायर की गई । जिसमें मा. न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.3.19 पारित करते हुए श्री राधेश्याम शर्मा के सम्बंध में मण्डल के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.2.19 के कियान्वयन को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2019 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 26.02.2019 के द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा, नायब तहसीलदार कादेडा जिला अजमेर का तहसीलदार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के पद के विरूद्ध किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन मा. न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर यथावत नायब तहसीलदार कादेडा जिला अजमेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

आदेशानुसार

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

क्रमांकः सम/ 4088–4099 दिनांकः– 11/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, अजमेर।
5. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर।
6. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
7. तहसीलदार केकडी।
8. श्री राधेश्याम शर्मा नायब तहसीलदार कादेडा जिला अजमेर।
9. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज. अजमेर